अधिकारी द्वारा विधिवत ग्राम धानोदा की आराजी ख0न0 212/675 की 1 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को किया गया था। आवंटन और तारीख दखल से अप्रार्थीगण आंवटित भूमि पर निरन्तर आज तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व उक्त भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज होकर इन्तकाल खुलने के पश्चात जमाबन्दी में अंकन होने पर उक्त आराजी का खसरा न0 774/212 दर्ज किया गया है। आवंटन के पश्चात उक्त आराजी पर काफी खर्च किया जाकर काबिल काश्त व उपजाउ बनाया गया है। आंवटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में 2018 आर आर डी स्टेट राजस्थान बनाम शंकरलाल पेज 479 व 2016 पेज 163 सावाराम बनाम धुलाराम के केस में माननीय रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान के दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये। अंकन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना स एफ 6(44)राजस्व, 6/2001/73 जीएसआर 101 दिनांक 28.12.2001 राज पत्र प्रकाशन दिनांक 04.01.2002 द्वारा राजस्व भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)नियम 1972 के नियम 18(4) में यह प्रतिस्थापित किया गया है कि नियम 18(4)" सभी व्यक्ति जिनको 29.09.1999 से पूर्व भूमि आंवटित की गयी थी तथा जिन्होने आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर खेती नही की तथा द्वितीय वर्ष में अवशिष्ट क्षेत्र एव उसका आवंटन निरस्त नही किया गया था, के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के वैसे ही पात्र होंगे जैसे मानों वे गत तीन वर्षो से उक्त आंवटित भूमि पर खेती कर रहे हैं तथा आवंटन की अन्य शर्तो को पूर्ण करते हों।" तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र को खारिज किया जावे।

हमने बहस सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दोराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी को भूमि का आवंटन सन 2010 में किया गया था। आवंटी या उसके वारिसान द्वारा आज तक आवंटित भूमि पर काश्त नही की है। आवंटिति द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटन की शर्तो के अनुसार आंवटी को आंवटित भूमि को ठीक प्रकार से काश्त एंव उपयोग करना आवश्यक है। आवंटित भूमि आज तक पड़त पड़ी हुई है आवंटन निरस्त योग्य है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवंम बहस पर मनन किया। पत्रावली राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट हे कि आंवटी द्वारा आवंटित भूमि को ठीक प्रकार से काश्त एंव उपयोग नही किया गया है जो आवश्यक है। उक्त भूमि प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार पड़त है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से ही भूमि आज दिनांक तक गेर खातेदारी में ही दर्ज है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किया जाना साबित है। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2018 आर आर डी स्टेट राजस्थान बनाम शंकरलाल पेज 479 के दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्यों कि सन्दर्भित प्रकरण में खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं व इस प्रकरण में आराजी आवंटी की गैर खातेदारी में दर्ज है। इसी तरह आरआरडी 2016 पेज 163 सावाराम बनाम धुलाराम के केस में माननीय रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान के दृष्टान्त भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्यों कि सन्दर्भित प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये भू आवंटन को निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रकरण को जिला कलक्टर, द्वारा निरस्त किया जाने पर उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया पूर्ण कर आवंटन करना व आवंटन के 11 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण के दायर प्रा0पत्र को बदनियति दर्शाना अंकन कर जिला कलक्टर के आदेश की पुष्टी की गई है जबकि इस प्रकरण में ऐसी कोई समवर्ती अवस्था नही है, इस प्रकरण में आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने पर विधिक रूप से जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी में आराजी पडत होने की पुष्टी करते हुए दस्तावेज संलग्न करते हुए आवंटन को निरस्त करने का प्रकरण तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार असनावर स्वीकार किया जाता है व ग्राम धानोदा की हाल आराजी ख0न0 774/212 रकबा 0.2529 हैक्टेयर आराजी का आवंटन जो दिनांक 27.12.2010 को आंवटी शब्बीर व नफीसा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार असनावर को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 20/अपील14(4)/20

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार असनावर

बनाम

शब्बीर आ0 अहमद जाति पिंजारा नि0 धानोदा तहसील असनावर

नफीसा पत्नी शब्बीर जाति पिंजारा नि0 धानोदा तहसील असनावर

प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत्।

उपस्थित :– पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांक 17.12.2020**

यह प्रकरण तहसीलदार असनावर द्वारा राज0भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आंवटन नियम) 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के अपील मेंमों में निवेदन किया गया है कि ग्राम धानोदा तहसील असनावर की आराजी खसरा न0 774/212 की 0.2529 हैक्टेयर भूमि का आंवटन आवंटी शब्बीर व नफीसा को दिनांक 27.12.2010 को हुआ था जो नामान्तकरण संख्या 636 से गैर खातेदारी दर्ज हुई । आवंटित आराजी को आंवटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तो के अनुसार काश्त नही की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघंन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नही करने से आवंटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही करने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार असनावर द्वारा अपने प्रा0पत्र की पुष्टि में आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2019, जमाबन्दी सं0 2068–71, 2072–75 नामान्तकरण संख्या 636 ग्राम धानोदा, खसरा गिरदावरी सं0 2072–75, 2068–71 पेश की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। रेस्पो0 की और से अभिभाषक श्री मकबूल अहमद, फिरोज अहमद का संयुक्त वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, उनके द्वारा जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई, दौराने सुनवाई अभिभाषक रेस्पो0 उपस्थित नही हुए।

अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः पेरा न0 1 स्वीकार किया गया व पेरा न0 2 व 3 अस्वीकार किया गया, विशेष आपत्तियों में अकंन किया कि प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प बडोदिया में दिनांक 27.12.2010 को मिसल न0 110/826 से उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिवत ग्राम धानोदा की आराजी ख0न0 212/675 की 1 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को किया गया था। आवंटन और तारीख दखल से अप्रार्थीगण आंवटित भूमि पर निरन्तर आज तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व उक्त भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज होकर इन्तकाल खुलने के पश्चात जमाबन्दी में अंकन होने पर उक्त आराजी का खसरा न0 774/212 दर्ज किया गया है। आवंटन के पश्चात उक्त आराजी पर काफी खर्च किया जाकर काबिल काश्त व उपजाउ बनाया गया है। आंवटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में 2018 आर आर डी स्टेट राजस्थान बनाम शंकरलाल पेज 479 में पेरा न0 10 पर माननीय उच्च न्यायालय ने फाईन्डिंग दी है " taking into consideration the view as above the cancellation,therefore could make after these years.

इसी प्रकार 2016 पेज 163 सावाराम बनाम धुलाराम के केस में माननीय रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान ने अपने निर्णय में पेरा न0 14 में व्यवस्था दी है। यंहा यह भी उल्लेखनीय है राज्य सरकार की अधिसूचना स एफ 6(44)राजस्व, 6/2001/73 जीएसआर 101 दिनांक 28.12.2001 राज पत्र प्रकाशन दिनांक 04.01.2002 द्वारा राजस्व भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)नियम 1972 के नियम 18(4) में यह प्रतिस्थापित किया गया है कि नियम 18(4)" सभी व्यक्ति जिनको 29.09.1999 से पूर्व भूमि आंवटित की गयी थी तथा जिन्होने आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर खेती नही की तथा द्वितीय वर्ष में अवशिष्ट क्षेत्र एव उसका आवंटन निरस्त नही किया गया था, के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के वैसे ही पात्र होंगे जैसे मानों वे गत तीन वर्षो से उक्त आंवटित भूमि पर खेती कर रहे हैं तथा आवंटन की अन्य शर्तो को पूर्ण करते हों।" जवाब प्रस्तुत कर तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र को खारिज करने की इस्तदुआ की गई।

अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा लिखित बहस में मुख्यतः अंकन किया कि प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प बडोदिया में दिनांक 27.12.2010 को मिसल न0 110/826 से उपखण्ड

जिला कलक्टर
झालावाड़